(भारत के राजपत्र के भाग-I, के क्षेत्र-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

फा.सं. 1(17)/2012-एचआरडी (वॉल्यूम II)

विषय : इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में दक्षता विकास के लिए छः (06) राज्यों/संघ राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए योजना।

1. **लक्ष्य:** इस योजना का लक्ष्य अन्य विषयों से संबंधित विद्यार्थियों/बेरोज़गार युवाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के माध्यम से ईएसडीएम क्षेत्र में दक्षता कौशल को निम्नलिखित कार्यों द्वारा बढ़ाना है :
   - विद्यालयों (IX वीं कक्षा से आगे के विद्यार्थी)/आईटीआई/पॉलीटेक्निकों/स्नातक महाविद्यालयों (गैर-इंजीनियरिंग) में पढ़ने वाले विद्यार्थी और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले/बेरोज़गार युवाओं को ईएसडीएम सेक्टर में रोज़गार के लिए उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त अतिरिक्त कौशल उपलब्ध कराकर मौजूदा मानव संसाधनों का इस्तेमाल करना।
   - उद्योग द्वारा ईएसडीएम क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नए निवेशों को प्रोत्साहित करना।
   - ईएसडीएम सेक्टर में उद्योग की आवश्यकतानुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रमाणन करना; ii) मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना और iii) ऐसे पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थानों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया तैयार करना/मानदण्ड निर्धारित करना।

2. **उद्देश्य :** विद्यार्थियों/बेरोज़गार युवाओं के बेहतर नियोजन के लिए चुनिंदा राज्यों/संघ राज्यों को शामिल करते हुए ईएसडीएम क्षेत्र में **90000** व्यक्तियों के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

3. **अवधि** : यह योजना चार (04) वर्ष के लिए प्रचालित रहेगी।

4. **बजट परिव्यय :** 113.77 करोड़ (अनुमानित) रुपए के कुल परिव्यय में से केन्द्र सरकार से मिलने वाली अनुदान सहायता राशि 100 करोड़ रुपए (अनुमानित) है।

5. **लक्षित लाभार्थी**

   क) निम्नलिखित में अध्ययनरत विद्यार्थी
   - IX वीं/Xवीं कक्षा
   - आईटीआई
   - पॉलीटेक्नीक
   - पूर्व स्नातक (गैर-इंजीनियरी)

   ख) बेरोज़गार युवक (संकेतात्मक सूची)
   - आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी
   - आईटीआई प्रमाणपत्र धारक
   - डिप्लोमा धारक
   - स्नातक (गैर-इंजीनियरी)

- रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति
- अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोज़गार मानव संसाधन

6. पृष्ठभूमि और औचित्य

6.1 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012: भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012 को अनुमोदित किया है, जिसका लक्ष्य भारत को प्रमुख ईएसडीएम हब बनाना है। इस नीति के उद्देश्य में वर्ष 2020 तक देश में 400 बिलियन अमरीकी डॉलर का टर्नओवर प्राप्त करने के लिए और विभिन्न स्तरों पर 27.8 मिलियन (अनुमानित) व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए देश में एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक इको-सिस्टम का सृजन शामिल है। देश में ईएसडीएम सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक ईको सिस्टम का सृजन करने के लिए एक नीतिगत ढांचे को सृजित करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना जैसे बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक माल, संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना (एम-सिप्स) इत्यादि की शुरूआत कर दी गई है।

6.2 ईएसडीएम क्षेत्र में दक्षता विकास की संभावनाएं : वर्तमान समय में उद्योग जगत घरेलू निर्माण की तुलना में आयात पर ज्यादा निर्भर है, तथापि निकट भविष्य में हालात के बदलने की उम्मीद है क्योंकि उच्च घरेलू मूल्य वृद्धि, घरेलू विनिर्माण और उत्पाद विकास पर बल दिया गया है। ईसडीएम के तहत शामिल बड़े उद्योग वर्टिकल हैं: रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी (वायु, आकाश और रक्षा, आण्विक शक्ति और स्पेस), ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र, सूचना और प्रसारण क्षेत्र, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र, सौर प्रकाशवोल्टीय क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र, आईटी/ओए (कम्प्यूटर और पेरीफेरल्स), मोबाइल उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कम्पोनेन्ट और अन्य आइटम (लिथियम आयन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, सॉलिड स्टेट मेमोरी उत्पाद, टेस्टिंग इक्विपमेंट एण्ड कन्ट्रोल्स, स्मार्ट कार्ड समेत)।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में रोज़गार के अवसर असाधारण रूप से बढ़ने का अनुमान है। अत: यह त्वरित योजना 9वीं, 10वीं कक्षा के छात्रों/बेरोज़गार युवाओं, आईटीआई, डिप्लोमा, गैर-इंजीनियरी स्नातकों इत्यादि पर फोकस करके, उनकी 'विनिर्माण' और 'सेवा सहायता' कार्यों में बेहतर नियोजन के लिए, ईएसडीएम सेक्टर में कौशल विकास को सरल बनाएगी।

6.3 औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तर पर मौजूदा शिक्षा/कौशल विकास प्रणाली, ईएसडीएम सेक्टर की उभरती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: यह आवश्यक है कि सरकार ईएसडीएम सेक्टर के लिए उभरती हुई मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौशल प्रशिक्षणदाताओं (सार्वजनिक और निजी दोनों डोमेन में) की बढ़ती संख्या के लिए हस्तक्षेप करे और अनुकूल वातावरण निर्मित करे । राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी-पूर्व में डीओईएसीसी सोसाइटी), राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) द्वारा स्थापित की जा रही संबंधित सेक्टर कौशल परिषदें (एनएसडीसी), कौशल प्रदाता (निजी और सार्वजनिक दोनों), राज्यों और संघ क्षेत्रों इत्यादि में शैक्षणिक संस्थान इस पहल में अग्रणी भूमिका अदा करेंगी।

इस तात्कालिक योजना का लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण को प्रमुख और समावेशी गतिविधि बनाना है। इसे प्रदायगी पिरामिड में प्रमुख स्टेकहोल्डरों, यानि राज्य सरकारों, उद्योग, कौशल प्रदाताओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) और नाइलिट और/या सेक्टर कौशल परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा एक केन्द्रीकृत प्रमाणनतंत्र के साथ एक औपचारिक व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जाएगा। भविष्य में यह उम्मीद की जा रही है कि इस योजना द्वारा देश में ईसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास की एक इको-सिस्टम सृजित होगी जिसमें आईटी और आईटीईएस सेक्टर के समान ही पूरे देश में बहुत सारे कौशल प्रदाता सामने आएंगे।

7. **कार्यान्वयन रणनीति :** इस योजना का कार्यान्वयन चुनिंदा 06 (छ:) राज्य सरकारों/संघ राज्यों से किया जाएगा। इस सहयोग में भागीदारी करने के लिए संबंधित चुनिंदा छ: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न उद्योग और एनएसडीसी द्वारा समर्थित क्षेत्र कौशल परिषदों, नाइलिट, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मौजूद कौशल प्रदाताओं के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की **अधिकार प्राप्त समिति** उन राज्यों/संघ राज्यों का चुनाव करेगी जहां से योजना को लांच किया जाना है। इन चुनिंदा राज्यों/संघ राज्यों द्वारा परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे और मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

7.1 राज्य/संघ राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका

प्रत्येक चुनिंदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अपने क्षेत्र में मौजूदा एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय **कार्यान्वयन एजेंसी** को चिह्नित करेगी जो अपने क्षेत्र में मौजूद प्रशिक्षण/कौशल प्रदाता भागीदारों से संपर्क करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के उद्देश्य निश्चित समय सीमा में पूरे हो जाएं। निर्धारित कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से राज्य और संघ राज्य सरकारों की निम्नलिखित भूमिका होगी :

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता- ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एकल बिंदु के रूप में भूमिका निभाना।
- एनआईईएलआईटी/एसएससी द्वारा यथोचित रूप से चिह्नित/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण/दक्षता भागीदारों (आईटीआई, पॉलीटेक्नीक, अन्य समान राज्य स्तरीय संस्थान इत्यादि समेत सरकारी के साथ-साथ निजी दोनों) से संपर्क करना।
- पहले से उपलब्ध संसाधनों की साझेदारी को सुकर बनाना-प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला, प्रयोगशालाओं को स्थापित करना आवश्यक नहीं है।
- चिह्नित की गई प्रशिक्षण/कौशल एजेंसियों/संस्थानों के सहयोग से कार्य करने के लिए सरकारी प्रशिक्षण/शैक्षणिक संस्थानों/विद्यालयों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करना ताकि उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकें।
- इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बेरोज़गार युवाओं के नामांकन हेतु तंत्र विकसित करने के लिए संबंधित रोज़गार कार्यालयों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करना।
- इस योजना को ईएमसी के अनुकूल बनाने के लिए प्रस्तावित ईएमसी भागीदारों/स्टेकहोल्डरों से उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करना।
- प्रशिक्षित/दक्ष उम्मीदवारों की प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए संभावित नियोजकों के साथ संपर्क, बातचीत और सहयोग करने के लिए एक प्लेसमेंट तंत्र का सृजन करना।

7.2 एनआईईएलआईटी/सेक्टर कौशल परिषदों की भूमिका

- उद्योग और नियोजकों के परामर्श से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिजाइन, विकास, प्रदायगी, मूलयांकन और प्रमाणन के लिए एक तंत्र, मानक शर्तें और दिशानिर्देश तैयार करना।
- प्रतिस्पर्धा आधारित एक पाठ्यचर्या तैयार करना जिसमें पाठ्यक्रम, विद्यार्थी मैनुअल, प्रशिक्षक गाइड, प्रशिक्षण मैनुअल, शिक्षक की योग्यताएं, मल्टीमीडिया पैकेज और ई-सामग्री शामिल होगी।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यचर्या इस ढंगे से आदर्श रूप में तैयार की जाए जिससे कि कौशल निर्माण को सुकर बनाया जा सके साथ ही सेवा शुरू करने और छोड़ने में सहूलियत हो। सभी पाठ्यक्रम एनवीईक्यूएफ के अनुसार और बाद में एनएसक्यूएफ (जैसे और जब तैयार हों) के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।
- उद्योग और संभावित नियोक्ताओं द्वारा मान्यता और स्वीकार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्राप्त सक्षमता का आंकलन और प्रभावित करना।
- सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमो को अंतिम रूप देना; प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अवधि और शुल्क निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण/दक्ष अवसंरचना, प्रयोगशालाओं, संकाय/प्रशिक्षुओं आदि के संदर्भ में प्रशिक्षण/दक्ष संस्थाओं को मान्यता दिलाने के लिए दिशानिर्देश और मानदण्ड तैयार करना।
- आवश्यक मार्गदर्शन, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण आदि प्रदान करके अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने को बढ़ावा देना।

- प्रशिक्षण भागीदारों/मान्यता प्राप्त संस्थाओं की प्रशिक्षण गुणवत्ता की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन हेतु मानदण्ड तैयार करना।

7.3 शामिल किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार : इस योजना में उन सभी अनौपचारिक कौशल अनुकूल पाठ्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव है जो निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार उद्योग अपेक्षा के अनुरूप तैयार किए जाएं :

- क्षेत्र कौशल परिषदों/नाइलिट द्वारा डिजाइन, विकसित, मान्यता प्राप्त।
- आईटीआई, अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित मानक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जा सकता है।
- एसएससी/नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले।
- विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता (एनवीईक्यूएफ-मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा घोषित) (अर्थात् स्तर 5 तक) और एक माड्यूलर तरीके से (और बाद में राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा एनएसक्यूएफ जैसे और जब यह उपलब्ध हो) ढांचे की तर्ज पर हों।
- पाठ्यक्रम की अवधि 200 घंटे से 400 घंटे तक हो सकती है।
- अंश कालिक या पूर्णकालिक रूप से दिया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम का शुल्क घंटों की संख्या, शामिल विशेषज्ञता का स्तर और प्रशिक्षण अवसंरचना, प्रयोगशालाओं आदि सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश की किस्म के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- सभी पाठ्यक्रमों में नाइलिट या एसएससी द्वारा निर्धारित एक समान प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- वित्तीय सहायता हेतु पात्र होने के लिए वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने विभिन्न एजेंसियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें एनआईईएलआईटी अथवा एसएससी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक **<u>विशेषज्ञ समिति</u>** विभिन्न पाठ्यक्रमों की सिफारिश करेगी जिन्हें प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। समिति विभिन्न पहलों जैसे पाठ्यक्रम, विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम शुल्क, पाठ्यक्रम अवधि, प्रशिक्षण प्रक्रिया आदि की योजना के अंतर्गत निधियन के लिए पात्र बनने के लिए किसी ऐसे पाठ्यक्रम की जांच करेगी। विशेषज्ञ समिति ऐसे पाठ्यक्रमों जो उपलब्ध न हों तथा/या लोकप्रिय न हों तथा/या व्यवहार्य न हों लेकिन किसी विशेष आवश्यकता के लिए अनिवार्य हों, के सहित उभरती हुई आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए समय-समय पर नए पाठ्यक्रमों की भी सिफारिश करेगी।

8. वित्तीय सहायता:

- छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क की 75% सहायता। पाठयक्रम शुल्क का 25% छात्र द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों (मानदण्ड आधारित) से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए 100% पाठ्यक्रम शुल्क सहायता। 40% सीटें इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।
- सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब छात्र नाइलेट या एसएससी या एसएससी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करे।
- कार्यान्वयन एजेंसी को ओवरहेड और प्लेसमेंट के लिए स्किलिंग सहायता के 10% की दर से सहायता।
- परीक्षा में शामिल होने वाले प्रति उम्मीदवार 100% पंजीकरण एवं प्रमाण शुल्क सहायता (इसमें थोरी, प्रेक्टिकल और परियोजना मूल्यांकन शामिल हैं) की प्रतिपूर्ति नाइलेट/एसएससी द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी को की जाएगी।

9. वास्तविक और वित्तीय विवरण:

- इस योजना के अंतर्गत लगभग 90,000 उम्मीदवारों को शामिल करने का लक्ष्य है।
- कौशल-वार लक्ष्य (एनएसडीसी रिपोर्ट के आधार पर) लक्ष्य और वित्तीय पूर्वानुमान:

	निम्नस्तरीय कौशल		मध्यस्तरीय कौशल	उच्च स्तरीय कौशल
स्तर	अकुशल (एल**1**-एल**2**)	अर्धकुशल (एल**3**)	परिवेक्षक (एल**4**)	मास्टर टेक्नीशीयन/प्रशिक्षक (एल**5**)
समतुल्य	IX-X पास	आईटीआई	डिप्लोमा	पोस्ट-डिप्लोमा
पर प्रवेश	VIIIवी पास	10 वी पास	10वी + आईटीआई, 12वी पास , अन्य स्नातक (गैर-विज्ञान वर्ग)	डिप्लोमा, बीएससी
पाठ्यक्रम अवधि (एनवीईक्यूएफ/एनएसक्यूएफ के अनुसार नाइलिट/एसएससी द्वारा निर्धारित की जाने वाली)	3 माह (~200-250 घंटे)*	6 माह (~350 घंटे)*	6 माह (~350 घंटे)*	6 माह (~400 घंटे)*
	* एनवीईक्यूएफ में दर्शायी गयी आवश्यकता के अनुसार घंटों की संख्या सांकेतिक है			
लक्ष्य (उम्मीदवारों की संख्या)	22,500	22,500	31,500	13,500
	90,000 उम्मीदवार			
प्रति राज्य/संघ राज्य लक्ष्य	3,750	3,750	5,250	2,250
	15,000 उम्मीदवार			

- **योजना के वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं :**

क्र. सं.	**स्तर पर पाठ्यक्रम**	**एल1, एल 2**	**एल 3**	**एल 4**	**एल 5**
1	**प्रति उम्मीदवार पाठ्यक्रम शुल्क-स्तर वार (अधिकतम)**	5,000/-रुपए	10,000/- रुपए	12,000/- रुपए	15,000/- रुपए
2	**स्तरवार पंजीयन सह प्रमाणन लागत *(सैद्धांतिक, प्रायोगिक और परियोजना मूल्यांकन के लिए परीक्षाशुल्क सहित)* प्रति उम्मीदवार (सभी को मिलाकर एकमुश्त सहायता)**	500/- रुपए	1000/- रुपए	1500/- रुपए	2000/- रुपए

प्रति राज्य/संघ राज्य वार वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आवश्यकताओं के विवरण <u>परिशिष्ट</u> में देखें जा सकते हैं।

- ऐसे राज्यों/संघ राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा जो अपेक्षाकृत कम निष्पादन करने वाले राज्यों की तुलना में बेहतर लक्ष्य प्राप्त करेंगें (संपूर्ण लक्ष्य/ बजट परिव्यय के भीतर)।

10. कार्यान्वयन और निगरानी :

- अधिकार प्राप्त समिति द्वारा राज्यों/संघ राज्यों को अंतिम रूप देने के पश्चात राज्य/संघ राज्य सरकार को राज्य स्तर पर मौजूदा कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करनी होगी और उसे नामित करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपना परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। प्रस्ताव (प्रस्तावों) को मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से मामला दर मामला आधार पर सहायता अनुदान की पहली किश्त जारी की जाएगी।
- अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक कार्यान्वयन ऐजेंसी को डीईआईटीवाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात कौशल निर्माण लागत और उपरिव्यय/ स्थापना लागत की 25% राशि अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यान्वयन शुरू करने और कार्यान्वयन, निगरानी और स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु पहली किश्त के रूप में इन कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाएगी। ततपश्चात प्राप्त लक्ष्य, उम्मीदवारों के नियोजन आदि के आधार पर (नाइलिट/एसएससी की प्रमाण पत्र परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार), पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन तिमाही आधार पर देय राशि जारी की जाएगी।
- इसी प्रकार नाइलिट और एसएससी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनके द्वारा की गयी पुष्टि के अनुसार उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन उन्हें तिमाही आधार पर राशि जारी की जाएगी।
- परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी के संदर्भ में अनुदान सहायता की दूसरी और आगामी किश्त जारी करने के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पीआरएसजी) के रूप में एक परियोजना निगरानी और संचालन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- इसके अलावा योजना के तीसरे वर्ष में आईआईएम जैसे किसी तृतीय पक्षकार के जरिए योजना का प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा ताकि योजना के कार्यान्वयन की शेष अवधि के दौरान आवश्यक अभिगम/मध्यावधि संशोधन किए जा सकें।
- इसके अलावा डीईआईटीवाई में एक कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) स्थापित की जाए जो चिह्नित किए गए राज्यों/संघ राज्यों में योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में विभाग को व्यावसायिक प्रबंधन और सहायता प्रदान करेगी; प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कार्यशालाओं, सैमिनारों आदि के जरिए सामान्य जनता सहित विभिन्न पणधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने में सहयोग करेगी; कार्यन्वयन एजेंसियों से विभिन्न प्रकार का डेटा एकत्रित करने, आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने और योजना की निगरानी के लिए अन्य संगत डेटा एकत्रित करने के लिए एक एमआईएस के सृजन में सहयोग करेगी; और योजना के तीसरे वर्ष में आईआईएम जैसे किसी तृतीय पक्षकार द्वारा योजना का प्रभाव मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेगी। पीएमयू की स्थापना नाइलिट (डीईआईटीवाई के अधीन एक वैज्ञानिक संस्था) द्वारा की जाएगी।

अजय कुमार

(डॉ. अजय कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24360160

सेवा में,

प्रबंधक
प्रेस, भारत सरकार
(भारत सरकार, प्रेस)
फरीदाबाद

फा.सं. 1(17)/2012-एचआरडी (वॉल्यूम. II) **नई दिल्ली**, 31 **अक्टूबर**, 2013

निम्नलिखित के सूचनार्थ प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सभी राज्यों/संघ राज्यों के मुख्य सचिव
2. सचिव, योजना आयोग, योजना भवन नई दिल्ली
3. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय,नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
5. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिलली
6. महानिदेशक, रोज़गार और प्रशिक्षण, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली- 110001
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, 9वां तल, एनडीसीसी बिल्डिंग, फेस- II, पालिका केन्द्र, जयसिंह रोड नई दिल्ली – 110001

8. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
9. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीईआईटीवाई
10. मिशन निदेशक, डीईआईटीवाई
11. सभी ग्रुप प्रमुख, डीईआईटीवाई
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दूर संचार क्षेत्र कौशल परिषद, सी-डॉट कैम्पस, मंडी रोड, महरौली नई दिल्ली – 110031
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र कौशल परिषद, (ईएसएससीआई), एलसीना हाउस, 422, ओखला इंडस्ट्रीयल इस्टेट, फेस -III, नई दिल्ली – 110020
14. प्रबंध निदेशक, नाइलिट
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ब्लॉक ए, क्लेरियन कलैक्शन, शहीद जीतसिंह मार्ग नई दिल्ली - 110016

अजय कुमार

(डॉ. अजय कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24360160

परिशिष्ट

प्रति राज्य/संघ राज्य स्तर/वर्ष वार वास्तविक लक्ष्य

क्र. सं.	स्तर	वर्ष -1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	जोड
1	एल1, एल2 स्तर	750	950	950	1,100	3,750
2	एल3 स्तर	750	950	950	1,100	3,750
3	एल4 स्तर	1,050	1,300	1,300	1,600	5,250
4	एल5 स्तर	450	550	550	700	2,250
	उप –जोड	**3,000**	**3,750**	**3,750**	**4,500**	**15,000**
क	आरक्षित सीटे (@40%) – एससी /एसटी /ईडब्ल्यूएस*	1,200	1,500	2,400	1,800	6,000
ख	सामान्य सीटे (60%)	1,800	2,250	2,250	720	9,000

** एससी - 15%, एसटी - 7.5%; ईडब्ल्यूएस (ईडब्ल्यूएस) - 17.5%*

वित्तीय विवरण

क प्रति राज्य/संघ राज्य लागत

क्र.सं.	विवरण	वर्ष -1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	जोड
क1	**कुल पाठ्यक्रम शुल्क (क2+क3+क4+क5)**	**3,06,00,000**	**3,81,00,000**	**3,81,00,000**	**4,62,00,000**	**15,30,00,000**
क2	*- एल1, एल2 स्तर (@ 5,000/- रुपए)*	*37,50,000*	*47,50,000*	*47,50,000*	*55,00,000*	*1,87,50,000*
क3	*- एल3 स्तर (@10,000/- रुपए)*	*75,00,000*	*95,00,000*	*95,00,000*	*1,10,00,000*	*3,75,00,000*
क4	*- एल4 स्तर (@12,000/- रुपए)*	*1,26,00,000*	*1,56,00,000*	*1,56,00,000*	*1,92,00,000*	*6,30,00,000*
क5	*- एल5 स्तर (@15,000/- रुपए)*	*67,50,000*	*82,50,000*	*82,50,000*	*1,05,00,000*	*3,37,50,000*
क6	**उपरिव्यय+ स्थापना (नीचे दिए ख 4 का @ 10%)**	**26,01,000**	**32,38,500**	**32,38,500**	**39,27,000**	**1,30,05,000**
क7	**प्रत्येक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का परिव्यय(क1+क6)**	**3,32,01,000**	**4,13,38,500**	**4,13,38,500**	**5,01,27,000**	**16,60,05,000**

ख कौशल सहायता का ब्यौरा- 1 राज्य /संघ राज्य

क्र.सं.	विवरण	वर्ष -1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	जोड
ख 1	**कुल पाठ्यक्रम शुल्क (क1)**	**3,06,00,000**	**3,81,00,000**	**3,81,00,000**	**4,62,00,000**	**15,30,00,000**
ख 2	*आरक्षित (एससी /एसटी /ईडब्ल्यूएस @40%)*	*1,22,40,000*	*1,52,40,000*	*1,52,40,000*	*1,84,80,000*	*6,12,00,000*
ख 3	*सामान्य (60%)*	*1,83,60,000*	*2,28,60,000*	*2,28,60,000*	*2,77,20,000*	*9,18,00,000*
ख 4	**कौशल सहायता (ख2 + ख3 का 75%)**	**2,60,10,000**	**3,23,85,000**	**3,23,85,000**	**3,92,70,000**	**13,00,50,000**
ख 5	*विद्यार्थी योगदान (बी3 का 25%)*	45,90,000	57,15,000	57,15,000	69,30,000	**2,29,50,000**

14,30,55,000/- रुपए की अनुदान सहायता के साथ प्रति राज्य/संघ राज्य कुल परिव्यय 16,60,05,000/ रुपए होगा

ग प्रति राज्य/संघ राजय पंजीकरण सह प्रमाणन लागत- डीईआईटीवाई द्वारा अधिप्रमाणन एजेंसियों को जीआईए के रूप में देय

क्र.सं.	विवरण	वर्ष -1	वर्ष -2	वर्ष -3	वर्ष -4	जोड
ग2	- एल1, एल2 स्तर (@500 /- रुपए)	3,75,000	4,75,000	4,75,000	5,50,000	18,75,000
ग3	- एल3 स्तर (@1,000/- रुपए)	7,50,000	9,50,000	9,50,000	11,00,000	37,50,000
ग4	- एल4 स्तर (@1,500/- रुपए)	15,75,000	19,50,000	19,50,000	24,00,000	78,75,000
ग5	- एल5 स्तर (@2,000/- रुपए)	9,00,000	11,00,000	11,00,000	14,00,000	45,00,000
ग6	**कुल पंजीकरण सह प्रमाण लागत**	**36,00,000**	**44,75,000**	**44,75,000**	**54,50,000**	**1,80,00,000**